जी.सी.एम.एस.नं. ....

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर GCMS-2021/14 वर्ष ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17/1/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 5/3/25 को पेश हो।	
05/03/2025	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 19/05/25 को पेश हो।	
19/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्ष उपस्थित। वकुलाय उभयपक्ष की विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति दर्ज करते हुए वादपत्र में मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय उभयपक्ष की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव से वकुलाय उभयपक्ष सहमत है। अतः वाद वादीगण न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम	FD हेतु सहमत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:42:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:42:33 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **नीमकाथाना (सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. हरचन्द पुत्र रूडा
2. जगदीश पुत्र रूडा
   समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी बांकावाली हाल निवासी ढाणी चेरीवाली तन गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादीगण

बनाम

1. आशा देवी पुत्री माडूराम वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 07 सन् 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री बलबीर सिंह जाखड़ एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री औमप्रकाश महला, श्री रविन्द्र सिंह एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म .दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादीगण मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री** का भाग **रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज......................मुबलिग..बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 19 माह 05 सन् 2025** को जारी की गई।

[signature]

दस्तखत.............
ओहदा.............

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अ...		
स्टाम्प वजह सबूत					
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.06.19 10:42:33 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।